न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 38/2026 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2026/110
दायर दिनांक :– 27.02.2026 निर्णय दिनांक :– 07.05.2026

01. नखतसिंह पुत्र अमानसिंह जाति राजपूत निवासी शक्तिनगर तहसील बाप जिला फलोदी
02. सुरेन्द्रसिंह पुत्र अमानसिंह जाति राजपूत निवासी शक्तिनगर तहसील बाप जिला फलोदी
03. विकमसिंह पुत्र अमानसिंह जाति राजपूत निवासी शक्तिनगर तहसील बाप जिला फलोदी
04. पुष्पाकंवर पुत्री अमानसिंह जाति राजपूत निवासी शक्तिनगर तहसील बाप जिला फलोदी
05. नखतुकंवर पुत्री अमानसिंह जाति राजपूत निवासी शक्तिनगर तहसील बाप जिला फलोदी
06. गोमाकंवर पुत्री अमानसिंह जाति राजपूत निवासी शक्तिनगर तहसील बाप जिला फलोदी
07. सन्तुकंवर पुत्री अमानसिंह जाति राजपूत निवासी शक्तिनगर तहसील बाप जिला फलोदी
08. चांदकंवर पुत्री अमानसिंह जाति राजपूत निवासी शक्तिनगर तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थीगण

बनाम

1. विनगेट डवलपर्स प्रा. लि. 102 विनसर प्लाजा, संसार चन्द रोड़ जयपुर डायरेक्टर ललित कुमार नरेड़ी निवासी जयपुर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है कि मूल ग्राम कानसिंह की सिड वर्तमान नवसृजित ग्राम श्रीशक्ति नगर पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी में खसरा नम्बर 1046/1 रकबा 7.8833 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की कदिमी पैतृक संयुक्त खातेदारी अधिकारों एवं कब्जा काश्त की स्थित है। भू–प्रबन्ध सेटलमेंट विभाग द्वारा खसरा नम्बर 1046 रकबा रकबा 472 बीघा पैमाईश कर प्रार्थीगण के दादा काजेसिंह पुत्र सांगसिंह व उनक भाई राजसिंह, पदमसिंह, लखसिंह, कुशालसिंह पुत्रगण सांगसिंह के 5/7 हिस्सा कौम राजपूत सा. देह हि. जागीरदार खुदकाबिज के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई। वादीगण अपने दादा कोजसिंह पुत्र सांगसिंह की उक्त वादग्रस्त भूमि पर पीढी दर पीढी कदिमी पैतृक काश्त भूमि पर काबिज है। वादीगण का हिन्दू अविभाजित परिवार सजरा खानदान का वंशवृक्ष प्रार्थना पत्र के संलग्न है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1046 रकबा 472 बीघा काश्त भूमि में से प्रार्थीगण के पिता अमानसिंह पुत्र कोजसिंह व रेंवतसिंह पुत्र कोजसिंह को अपने पिता कोजसिंह पुत्र सांगसिंह से रकबा 48–14 बीघा कदिमी पैतृक काश्त भूमि श्रीमान उप जिलाधीश महोदय फलोदी मुकदमा नम्बर 140/79 निर्णय दिनांक 07.03.1982 के जरिये डिक्री से बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई उक्त

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

निर्णय की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 1037 ग्राम कानसिंह की सिड स्वीकृत हुआ। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1046/1 रकबा 48–14 बीघा में से 24–07 बीघा काश्त भूमि वादीगण के पिता अमानसिंह पुत्र कोजसिंह व प्रार्थीगण को अपने दादा कोजसिंह पुत्र सांगसिंह से पीढी दर पीढी कदिमी पैतृक बहिस्सा बराबर–बराबर प्राप्त हुई। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को कदिमी पैतृक काश्त भूमि होना घोषित करवाकर अपना प्रत्येक को 1/18–1/18 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण को वादग्रस्त कदिमी पैतृक काश्त भूमि में जन्म से हक हकुक अधिकार निहित हो गये थे, प्रार्थीगण का कदिमी पैतृक काश्त भूमि पर कब्जा काश्त संयुक्त रूप से 8/18 हिस्सा पर शान्तिपूर्वक चला आ रहा है, प्रार्थीगण प्रत्येक वर्ष मानसुन की वर्षात से प्राकृतिक व फसल पैदावार प्राप्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है लेकिन वादग्रस्त भूमि के मौके पर दिनांक 15.02.2026 को प्रतिवादी संख्या 1 के प्रतिनिधी ने सम्पूर्ण भूमि अपने नाम होने का कहकर कब्जा छोड़कर चले जाने का कहा व वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी तो प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड प्राप्त कर जानकारी ली तो अमानसिंह व रेंवतसिंह पुत्रगण कोजसिंह ने वादग्रस्त काश्त भूमि में अपने वास्तविक पैतृक हक हिस्से से अधिक सम्पूर्ण भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 14.05.2007 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित करवा दिया गया जो वादीगण के खातेदारी अधिकारों के विरूद्व शुरू से शून्य व बेअसर है। उक्त विक्रय पत्र की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 1922 ग्राम कानसिंह की सिड प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों के विरूद्व गलत स्वीकृत किया गया जो निरस्त योग्य होने से शुरू से ही आरम्भतः शून्य है। प्रार्थीगण नामान्तरकरण संख्या 1922 को निरस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण के कदिमी पैतृक वाद्रगस्त खसरा नम्बर 1046/1 रकबा 7.8833 हैक्टेयर काश्त भूमि पर चले आ रहे कब्जा काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 के प्रतिनिधी व प्रतिवादी संख्या 1 के कर्मचारी अपने मंसूबो पर कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन किसी भी सूरत में सम्भव नहीं हो पायेगा इसलिये प्रार्थीगण कदिमी पैतृक वादग्रस्त काश्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि ग्राम शक्ति नगर पटवार हल्का कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 1046/1 रकबा 7.8833 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 की खरीद अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थीगण का कोई कानूनन हक व हिस्सा नहीं है और न ही उक्त भूमि किसी प्रकार की वादग्रस्त भूमि है। उक्त भूमि पर खरीद अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा व काश्त चला आ रहा है उक्त भूमि अमानसिंह, रेवन्तसिंह पि. कोजसिंह की स्वअर्जित भूमि है जो किसी भी प्रकार से पैतृक सम्पति नहीं है। उक्त भूमि पर खरीद के दिन से ही अप्रार्थी संख्या 1 मौके पर काबिज है। उक्त भूमि के पूर्व खातेदार अमानसिंह व रेवन्तसिंह ने अपनी घरेलू आवश्यकताओं एवं शादी व मायरा इत्यादि में खर्चे की पूर्ति करने हेतु अपने नाम दर्ज भूमि का बेचान

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अप्रार्थी संख्या 1 को कर दिया था जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 922 मौजा कानसिंह की सिड अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकृत हुआ तथा अप्रार्थी संख्या 5 केता ने विकेता अमानसिंह व रेवन्तसिंह को उक्त भूमि पेटे पूर्ण प्रतिफल प्रदान कर दिया था और उसी दिन मौके पर चलकर विकेता अमानसिंह व रेवन्तसिंह ने केता अप्रार्थी संख्या 1 को कब्जा सुपुर्द कर दिया था। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हुए विक्रय पत्र को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाने के हकदार नहीं है और न ही उक्त विक्रय पत्र के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण को निरस्त करवाने के हकदार है और न ही उक्त भूमि में किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा करवाने के प्रार्थीगण हकदार है। उक्त वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त नहीं होने सुविधा का तुलनात्मक संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है और रेकर्डेड खातेदार को अपने नाम दर्ज भूमि का बेचान करने से काननून नहीं रोका जा सकता है। उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त ही नहीं है तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के बेदखल करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व किसी प्रकार कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को मय खर्चा हर्जा के खारिज किये जाने के आदेश फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नामान्तरकरण, खतोनी बन्दोबस्त, विक्रय पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि बादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्व कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

खतोनी बन्दोबस्त ग्राम कानसिंह की सिड सम्वत 2015 से 2031 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि कोजसिंह व अन्य खातेदारान के नाम दर्ज अभिलेख थी। वादग्रस्त भूमि तत्कालीन खातेदार अमानसिंह, रेवतसिंह पुत्रगण कोजसिंह, नरपतसिंह, मदनसिंह, भारतसिंह पि. भंवरसिंह ने अपने नाम दर्ज भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र के दिनांक 14.05.2017 अप्रार्थी संख्या 1 को बेचान कर दी थी जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। पंजीबद्व विक्रय विलेख किसी न्यायालय से आक्षेपित नहीं है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरकार है। वादी के वाद में जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण का हक हिस्सा है या नहीं। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, नामान्तरकरण और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि कोजसिंह व अन्य खातेदारान के नाम दर्ज अभिलेख थी। वादग्रस्त भूमि तत्कालीन खातेदार अमानसिंह, रेवतसिंह पुत्रगण कोजसिंह, नरपतसिंह, मदनसिंह, भारतसिंह पि. भंवरसिंह ने अपने नाम दर्ज भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र के दिनांक 14.05.2017 अप्रार्थी संख्या 1 को बेचान कर दी थी जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को आराजी के उपभोग–उपयोग, कृषि इत्यादि सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित हो सकती है। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत 88,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण–I आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)